प्रेस विज्ञप्ति

02.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत शुरू की गई धन शोधन जांच के संबंध में 31-01-2024 को जगदीश कुमार अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। दिनांक 01-02-2024 को जगदीश कुमार अरोड़ा एवं अनिल कुमार अग्रवाल को माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने उक्त अभियुक्त को 05-02-2024 तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एफआईआर, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में भ्रष्टाचार/रिश्वतखोरी से संबंधित अनुसूचित अपराध शामिल थे, के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि जगदीश कुमार अरोड़ा [तत्कालीन मुख्य अभियंता, डीजेबी] ने दिल्ली जल बोर्ड में मैसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38,02,33,080/- रुपए कुल मूल्य का कान्ट्रैक्ट दिया, इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती थी।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच से पता चला कि मैसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने जाली/फर्जी/झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करके निविदा हासिल की। दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन मुख्य अभियंता, जगदीश कुमार अरोड़ा को इस तथ्य की जानकारी थी कि कंपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की एसआईटीसी हेतु निविदा मंजूरी प्राप्त करने के लिए तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती है। मैसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अनिल कुमार अग्रवाल की स्वामित्व वाली फर्म मैसर्स इंटीग्रल स्क्रूज़ लिमिटेड के साथ इस कार्य हेतु उप-अनुबंध किया। धनराशि प्राप्त होने पर, अनिल कुमार अग्रवाल ने जगदीश कुमार अरोड़ा को रिश्वत की राशि लगभग 3 करोड़ रुपए नकद और बैंक खातों के माध्यम से हस्तांतरित कर दी। जांच से पता चलता है कि रिश्वत की रकम स्थानांतरित करने के लिए जगदीश कुमार अरोड़ा के करीबी सहयोगियों और उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया था। जगदीश कुमार अरोड़ा के करीबी ने भी नकद रिश्वत प्राप्त किए।

प्रवर्तन निदेशालय ने पहले 24-07-2023 और 17-11-2023 को तलाशी अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज और साक्ष्य जब्त किए गए।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।